न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.

क्रमांकः कोर्ट / 2019 / 2456 दिनांक 16-12-2019

राजस्व प्रा.पत्र. संख्या 122/19

तहसीलदार सिरोही द्वारा जरिये पत्र कमांक 2268 दिनांक 6-11-2019 के संलग्न प्राप्त प्रस्ताव मय राजस्व रेकर्ड जमाबंदी दस्तावेजात प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन करने के उपरान्त प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित होने से राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर तहसीलदार सिरोही को पुनःमूल प्रस्ताव मय राजस्व रेकर्ड के भेजकर आदेश दिये जाते है कि प्रस्तावानुसार अपक्षित राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती कर जमाबंदी अपडेट कर पालना रिर्पोट एक सप्ताह के भीतर इस न्यायालय को आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें । As Approved

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.)

सिरोही

सेवामे,

श्रीमान तहसीलदार साहब

सिरोही

विषय:- नाम व जाति खातेदारी मे ~~गलत~~ गलत दर्ज होने से शुद्धीकरण करवाने हेतु ।

महोदयजी,

उपरोक्त विषय मे आपसे मेरा निवेदन है कि मौजा मांकरोडा पटवार हल्का मांकरोडा तहसील सिरोही के खाता संख्या ~~236~~ 255 नया व पुराना ~~226~~ 235 मे को कृषि भुमि के राजस्व रेकर्ड ~~अमुक~~ कम्प्युटर से आॅन लाइन किये जाने पर खातेदारी मे नरेश कुमार के स्थान पर रमेश कुमार गलत दर्ज किया है एवं ~~उसी~~ 256 खाते मे खातेदारी मे जमाबंदी रेकर्ड मे जाति कुम्हार के स्थान पर मेघवाल दर्ज किया गया है । उक्त दोनो खातो की खातेदारी वास्ते प्रमाण व सबुत के रूप मे प्रस्तुत कर रहा हु । सो नाम व जाति का जमाबंदी व राजस्व रेकर्ड मे शुद्धिकरण करवाने का कष्ट करावे ।

दि. 5. 09. 2019

प्रार्थी

राजाराम

राजाराम पुत्र वलाजी जाति कुम्हार निवासी रामपुरा-नवाखेडा

तह. सिरोही

संलग्न:-

1. खाता सं. 236 की जमाबंदी की नकल
2. खाता सं. 255 की जमाबंदी की नकल

राजस्थान - सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू० अ०) सिरोही

क्रमांक/भू.अ./2019/1731 दिनांक 05/9/19

श्रीमान पटवारी हल्का मांकरोडा को लिखा जाता है कि पत्र में वर्णित तथ्यों की राजस्व रेकर्ड से जांच कर भू.अ.नि. से टिप्पणी कराते हुए रिपोर्ट पेश करें।

तहसीलदार (भू.अ.) सिरोही

95

5/9/19

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2019.12.21 13:16:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: